

क्र.सं.	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वाणिज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, डिप्टी कमिश्नर	11-07-2018	₹ 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मर्जी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग सचनऊ ने आदेश दिनांक -11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद पर बादी को सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति ₹0- 5000.00 का अर्धदण्ड दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के बेतन से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्धदण्ड जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र सं0 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को अर्धदण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा0 आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.08.2021 के उपरांत आरोपित अर्धदण्ड रुपये. 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा कराने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जमा का प्रमाण- पत्र होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा।	शून्य

02	वर्गिय कर विभाग, मुरादाबाद जेन, मुरादाबाद	4 बिन्दु खण्ड, अडिओमिओवाक 0 एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनीर	19-06-2018	₹0 25000.00	<p>अधिरक्षित अर्धदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को इस स्तर से पत्र संख्या- 800 दिनांक 07-03-2020 प्रेषित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा माओ आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया गया है। जिसकी सूचना जिलाधिकारी, बिजनीर की सेवा में भी प्रेषित की गयी है।</p>	शून्य	<p>अधिरक्षित अर्धदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनीर के पत्र संख्या- 114 दिनांक 06-02-2020 जो इस कार्यलय को दिनांक 15-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा माननीय सूचना आयोग के समक्ष प्रत्यावेदन इस कार्यलय के अनुस्मारक पत्र संख्या- 477 दिनांक 01/01-2021 के क्रम में प्रेषित किया गया है। पुनः पुनर्विचार प्रार्थना कार्यलय पत्र संख्या- 214 दिनांक 19-02-2021 को प्रेषित किये जाने की सूचना असिस्टेंट कमिश्नर वर्गिय कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनीर के पत्र संख्या- 50 दिनांक 01-07-2021 को प्रेषित की गयी है।</p>	
03	वर्गिय कर विभाग, मुरादाबाद जेन, मुरादाबाद	श्री टिटराभूति, कार्यलय वर्गिय कर अधिकारी खण्ड-1 बिजनीर	16-07-2018	₹0 25000.00	<p>अधिरक्षित अर्धदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डिओमिओ को इस स्तर से पत्र संख्या 769 दिनांक 28-02-2020, पुनः पत्र संख्या 816 दिनांक 12-03-2020 प्रेषित किये गये हैं।</p>	शून्य	<p>अधिरक्षित अर्धदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनीर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यलय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्धदण्ड समाप्त हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयोग के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है। पुनः असिस्टेंट कमिश्नर वर्गिय कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनीर के पत्र संख्या- 147 दिनांक 25-06-2021 द्वारा प्रत्यावेदन अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।</p>	

	वाणिज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(न.0400)/ अधिकारी, ना0फ00 माजिगाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुर्यायित प्राप्त (110) 3090 राज्य सूचना आयोग के 3090 राज्य सूचना आयोग के सामने दिनांक 01.11.2018 में दाखिल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	(110) 3090 राज्य सूचना आयोग के सामने पुर्यायित प्राप्त पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
05	वाणिज्य कर	श्री जे0पी0सिंह, सी0नि0 डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, ना0फ00 माजिगाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	110 3090 राज्य सूचना आयोग के सामने पुर्यायित प्राप्त पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	(110) 3090 राज्य सूचना आयोग के सामने पुर्यायित प्राप्त पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
06	वाणिज्य कर	श्री इन्तजीत भदौरिया, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0)/जनसूचना अधिकारी, ना0फ00 मेरठ	02.01.2018	25000.00	00	00	कार्यवाही चल रही है।	कार्यवाही चल रही है।
07	वाणिज्य कर	श्री यू0सी0शर्मा, वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, मुरादाबाद	23.10.2018 (3090 सूचना आयोग का पत्रांक- 10979 दि0 11.12.2018 से प्राप्त)	25000.00	शून्य	नहीं	दण्ड में निहित धनराशि जमा कराये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र संख्या- 4407 दिनांक 01.01.2019 व अनुस्मारक पत्र संख्या-6135 दिनांक 06.03.19 व पत्र संख्या-125 दिनांक 24.04.19 व पत्र संख्या- 702 दिनांक 25.06.19, प0स0-2868 दि0 29.11.2019 एवं प0स0- 140 दि0 18.06.20	दण्ड प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2019 में अंतिम दायर की गयी है।

वाणिज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि०कमि ० (प्रशा०) वा०क० झांसी	22.11.2012	25000.00	00	00	प्रेषित।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०-1/2482/सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक- 104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है।
------------	--	------------	----------	----	----	----------	---	--

28.04.22
(सोनिका)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/सहायक जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।